

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

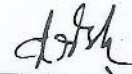
क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-229) अलेसे-1/

दिनांक:-17-07-14

कार्यालय आदेश

यह है कि श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी (लिक नम्बर-776), कार्यालय- खनि अभियन्ता, जोधपुर के विरुद्ध विभागीय आदेशों/ निर्देशों की अनुपालना नहीं करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय-खनि अभियन्ता, जोधपुर को राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कोषालय जोधपुर (ग्रामीण) रहेगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-229) अलेसे-1/2862-66

दिनांक:-17-07-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खनि अभियन्ता, जोधपुर।
2. कोषाधिकारी जोधपुर/ बाडमेर।
3. श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय- खनि अभियन्ता, जोधपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
5. निजी सहायक निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)